[illegible] रा.प्र.क्र. 23 अ6अ/11-12 [illegible] ग्राम [illegible]

प्रस्तुत 23/3/12
प्रदाय 23-3-12

फार्म 'अ'

(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश–पत्र (रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

तहसीलदार खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.) के न्यायालय में मामला क्रमांक ......23...... सन् 2011–12

विषय :– राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करने बावत् मामले की श्रेणी अ–6–अ ....

ग्राम दर्रामुड़ा,बिंजकोट ....बन्दोबस्त क्रमांक ....पटवारी हल्का क्रमांक 38,34 तहसील खरसिया

कलेक्टर का क्रमांक..................सन् 20 अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक..................सन् 20

तहसीलदार का क्रमांक ....सन् 20 नायब तहसीलदार का क्रमांक ....सन् 20

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और ऐसे पालन की तारीख
(1)	(2)	(3)
05.03.2012 COURT FEE FIVE RUPEES 31-3-12	आवेदक मेसर्स एस.के.एस.पावर जनरेशन (छ0ग0) लिमिटेड ग्राम बिंजकोट तह. खरसिया, जिला रायगढ़ द्वारा आम मुख्तयार संजय कुमार चौधरी की ओर से अधिवक्ता श्री वेदप्रकाश राठौर द्वारा ग्राम बिंजकोट स्थित भूमि कुल ख.नं. 282 कुल रकबा 96.726 हे. एवं ग्राम दर्रामुड़ा स्थित भूमि कुल ख.नं. 504 कुल रकबा 102.943 हे. भूमि का पंजीकृत पट्टा विलेख प्रस्तुत कर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण दर्ज हो इश्तहार का प्रकाशन संबंधित ग्राम में किया जावे प्र. दि. 21.03.2012 तहसीलदार खरसिया, जि. रायगढ़ (छ.ग.) खरसिया	Noted 23/3/12

FIVE RUPEES COURT FEE INDIA FIVE RUPEES

(3)

21.03.2012	प्रकरण प्रस्तुत आवेदक अधिवक्ता श्री वेदप्रकाश राठौर उपस्थित। ईश्तहार प्रकाशन उपरांत वापस प्राप्त। कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं। मूल रजिस्टर्ड पट्टा विलेख (99 वर्ष) दिनांक 16.02.12 का अवलोकन किया जो विधिवत् उप पंजीयक कार्यालय खरसिया के समक्ष निष्पादित किया गया है आवेदक अधिवक्ता का तर्क सुना। उन्होनें अपने तर्क मे बताया कि आवेदित भूमि उद्योग विभाग द्वारा भू अर्जन के माध्यम से अर्जित की गई है जिसे एस. के.एस. पावर जनरेशन (छ.ग.) लिमिटेड ग्राम बिंजकोट के पक्ष में गर्वनर छ.ग. शासन द्वारा डायरेक्टर औद्योगिक विकास निगम रायपुर द्वारा पंजीकृत पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया है जिसका विधिवत् पंजीयन शुल्क अदा किया गया है इस आधार पर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किया जावे। प्रकरण आदेशार्थ 28.03.2012 तहसीलदार खरसिया, जि.-रायगढ़ (छ.ग.) खरसिया
28/3/12	प्रकरण प्रस्तुत मूल रजिस्टर्ड पट्टा विलेख (99 वर्ष) दिनांक 16.02.12 का अवलोकन किया जो विधिवत् उप पंजीयक कार्यालय खरसिया के समक्ष निष्पादित किया गया है हल्का पटवारी को राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने हेतु ज्ञापन जारी कर पालन प्रतिवेदन लिया जावे, पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेखागार मे जमा हो। तहसीलदार खरसिया, जि.-रायगढ़ (छ.ग.) खरसिया
31-3-12	

Noted 28/3/12

Noted 28/3/12

31/3/12

[illegible]

फार्म 'अ'

(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश–पत्र (रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

तहसीलदार खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.) के न्यायालय में मामला क्रमांक ....24....... सन् 2011–12

विषय :– राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करने बावत् मामले की श्रेणी अ–6–अ ....

ग्राम दर्रामुड़ा,बिंजकोट, बड़े जामपाली बन्दोबस्त क्रमांक ....पटवारी हल्का क्रमांक 30,31,32.. तहसील खरसिया

कलेक्टर का क्रमांक..............................सन् 20 अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक..................सन् 20

तहसीलदार का क्रमांक ....सन् 20 नायब तहसीलदार का क्रमांक ....सन् 20

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और ऐसे पालन की तारीख
(1)	(2)	(3)
05.03.2012	आवेदक मेसर्स एस.के.एस.पावर जनरेशन (छ०ग०) लिमिटेड ग्राम बिंजकोट तह. खरसिया, जिला रायगढ़ द्वारा आम मुख्तयार संजय कुमार चौधरी की ओर से अधिवक्ता श्री रामखिलावन जायसवाल द्वारा ग्राम बिंजकोट स्थित भूमि कुल ख.नं. 3 कुल रकबा 0.446हे. ग्राम बड़ेजामपाली स्थित भूमि कुल ख.नं. 8 कुल रकबा 1.576 हे. एवं ग्राम दर्रामुड़ा स्थित भूमि कुल ख.नं. 6कुल रकबा 5.776 हे. भूमि का पंजीकृत पट्टा विलेख प्रस्तुत कर राजस्व अभिलेख दुरुस्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण दर्ज हो ईश्तहार का प्रकाशन संबंधित ग्राम में किया जावे प्र. दि. 21.03.2012 तहसीलदार खरसिया (छ.ग.)	

COPY
31-3-12

FIVE RUPEES FIVE RUPEES

(3)

21.03.2012

प्रकरण प्रस्तुत।
आवेदक अधिवक्ता श्री रामखिलावन जायसवाल उप.।
ईश्तहार प्रकाशन उपरांत वापस प्राप्त। कोई आक्षेप
प्रस्तुत नहीं। मूल रजिस्टर्ड पट्टा विलेख (99 वर्ष)
दिनांक 16.02.12 का अवलोकन किया जो विधिवत्
उप पंजीयक कार्यालय खरसिया के समक्ष निष्पादित
किया गया है आवेदक अधिवक्ता श्री जायसवाल ने
अपने तर्क में बताया कि आवेदित भूमि उद्योग
विभाग के लिए आबंटित की गई है। जिसे एस. के.एस.
पावर जनरेशन (छ.ग.) लिमिटेड ग्राम बिंजकोट के पक्ष
में गर्वनर छ.ग. शासन द्वारा डायरेक्टर औद्योगिक
विकास निगम रायपुर द्वारा पंजीकृत पट्टा विलेख का
निष्पादन किया गया है जिसका विधिवत् पंजीयन
शुल्क अदा किया गया है इस आधार पर राजस्व
अभिलेख में आवेदक कंपनी का नाम दर्ज किया जावे।
प्रकरण आदेशार्थ
28.03.2012

तहसीलदार
खरसिया, जि. रायगढ़ (छ.ग.)
खरसिया

23-3-12

प्रकरण प्रस्तुत

मूल रजिस्टर्ड पट्टा विलेख (99 वर्ष)
दिनांक 16.02.12 का अवलोकन किया जो विधिवत्
उप पंजीयक कार्यालय खरसिया के समक्ष निष्पादित
किया गया है हल्का पटवारी को राजस्व रिकार्ड दुरुस्त
किये जाने हेतु ज्ञापन जारी कर पालन प्रतिवेदन लिया
जावे, पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेखागार मे
जमा हो।

तहसीलदार
खरसिया, जि. रायगढ़ (छ.ग.)
खरसिया

Tahsildar
Kharsia
31-3-12